कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बाराबंकी

आदेशसंख्या–मान्यता / 13149-61 / 2022–23 / दिनांक– 03/03/2023

प्रबंधक,
संस्कार ग्लोबल स्कूल
लखनऊ कुर्सी रोड अमरसंडा
बाराबंकी।

विषयः **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण एवं शासनादेश सं0–89/अरसठ–3–2018 –2001/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019, विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–64/अडसठ–3–2021–840/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 11 फरवरी 2021 एवं शिक्षा निदेशक बेसिक के पत्र संख्या–शि0नि0(बे0) 76467–825/2018–19 दिनांक 24 जनवरी 2019 में निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 03–03–2023 को लिए गए निर्णय के आधार पर शासनादेश में निहित शर्तो/मानक के अनुसार होने पर **संस्कार ग्लोबल स्कूल , लखनऊ कुर्सी रोड अमरसंडा बाराबंकी (मान्यता सं0–BAR09462918035)** को कक्षा–01 से 05(अंग्रेजी **माध्यम**) तक सत्र 2022–23 से आगामी एक शैक्षिक सत्र (03.03.2023 से 03.03.2024 तक) हेतु प्राथमिक स्तर तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने कि ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात् मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं करता है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के (या यथास्थिति कक्षाओं में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु अग्रेतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इस सन्नियम का पालन किया जाएगा।
4. प्रस्तर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जाएगी। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय अलग से एक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. समिति/विद्यालय कोई व्यक्ति संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा–

(i) बालक का आयु प्रमाण–पत्र न होने पर।

(ii) धर्म, जाति अथवा नस्ल जन्म स्थान अथवा उनमें से किसी आधार पर।

(iii) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक ... न नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

Digitally signed by RANJAN SINGH
Date: 2023.06.30 22:49:30 +05:30
Reason: reason
Location: location

Scanned with CamScanner

(iv) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।

(v) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(vi) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vii) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे। तथा टीईटी प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था पूर्ण कर लेंगे।

(viii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है,

(ix) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या सगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकांउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्या– **BAR09462918035** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हैं, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय समय पर जारी किए गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18. संलग्न उपबन्ध 3 के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

19. विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

भवदीय

03/03/2023

(सन्तोष कुमार देव पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी।

पृ0सं0/मान्यता/ /2022–23/दिनांक तदैव।

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।
3– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ०प्र० प्रयागराज।
4– सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अयोध्या, मण्डल अयोध्या।
5– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गनेशपुर, बाराबंकी।
6– जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
7– जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
8– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
9– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
10–सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
11–जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
12–कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी

Scanned with CamScanner

Form No:7455

Office of the District Basic Education Officer

BARABANKI

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SANSKAR GLOBAL SCHOOL,LUCKNOW KURSI ROAD AMARSANDA BARABANKI UTTAR PRADESH** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to SANSKAR GLOBAL SCHOOL is **BAR09462918035.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:03-03-2023To:03-03-2024(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Primary School(1 to 5)
5.Recognition No.	BAR09462918035

03/03/2023

DATE:- 03-03-2023

PLACE:- BARABANKI

District Basic Education Officer

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Scanned with CamScanner

Form No:6521

Office of the District Basic Education Officer

BARABANKI

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SANSKAR GLOBAL SCHOOL,LUCKNOW KURSI ROAD AMARSANDA BARABANKI UTTAR PRADESH** is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to SANSKAR GLOBAL SCHOOL is **BAR09461918871.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:10-02-2023To:10-02-2024(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	BAR09461918871

DATE:- 10-02-2023

PLACE:- BARABANKI

District Basic Education Officer

Digitally signed by Santosh Kumar Deo Pande
Date: 2023.02.10 15:07:28
Reason: For Digital Signature
Location: BARABANKI

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

दिशा-निर्देश

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

BARABANKI

सेवा में ,

प्रबंधक

SANSKAR GLOBAL SCHOOL

LUCKNOW KURSI ROAD AMARSANDA BARABANKI UTTAR PRADESH

BARABANKI

पत्रांक-बेसिक/मान्यता/ /2020-21 दिनांक :- 20/May/2023

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धरा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए अनंतिम मान्यता प्रमाण-पत्र |

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरिक्षण की प्रति एवं मान्यता समिति के निर्देश से में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2020-21 से एक वर्ष की अवधि के लिए उच्च प्राथमिक (VI - VIII) स्तर अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम (अस्थायी) मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ |

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है |

2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा |

3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा |

4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायगा | ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा |

5. सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा |

6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

7. (1)- प्रवेश दिए गए किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा |

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा |

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा |

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए

अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा |

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा |

(6) अध्यापकों की भर्त्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित यथा न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक , जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हो, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे |

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेगें |

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा |

9.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा |

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 2623

कुल निर्मित क्षेत्रफल-10130

क्रीड़ास्थल- हाँ

कक्षाओं की संख्या- NaN

प्रधानाध्यापक, कार्यालय एवं स्टाफ के लिए कक्षाओं की संख्या- 1,1,4

पुस्तकालय /वाचनालय कक्षाओं की संख्या- 1

बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की संख्या- 16

पेयजल सुविधा की संख्या- 1

बाधारहित पहुँच – हाँ

अध्यापन पठान सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/काष्ठोपकरण/विज्ञानं सामग्री की उपलब्धता- हाँ

10. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी |

11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा |

12. विद्यालय भवनों या अन्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है |

13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा |

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए | प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए |

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक-**BAR09461918871** है | कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें |

16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट या सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिस्खा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेंशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सततअनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय

के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये |

17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये |
18. विद्यालय /संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार यू-डाइस + से सम्बंधित सूचनाएं/आंकड़ें भरना अनिवार्य होगा |
19. शासनदेश दिनांक 11.1.2019 एवं 29.06.2020 में उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाये | इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन / कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी | जिसके लिए विद्यालय प्रबंधतन्त्र स्वयं उत्तरदायी होगा |